Conversion of Train no. 57305 (Kachiguda-Guntur) into Express train

2880. SHRI T.G. VENKATESH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government is committed to convert the Kachiguda-Guntur ordinary train to Express train;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any request has already been received in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): (a) and (b) At present, there is no proposal to convert 57305/57306 Kachiguda-Guntur Passenger into an Express service. However, speeding up of trains is an on-going process on Indian Railways.

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

The House then adjourned at two minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Providing uniform reservation system in the whole country

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on the day when Shri Karunanidhiji expired, I had called a meeting here after having a word with the Leader of the Opposition and in that meeting it was suggested that on Friday we will have Legislative Business, rather than Private Members' Business. But, after talking to others, I have now decided that we will have Private Members' Business now and after that we will have two Bills on which there is a broad consensus. That is the understanding. The two Bills that we will be taking up are: The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017 and the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018.

Now, Shri Vishambhar Prasad Nishad to make a Resolution regarding the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal : Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... My point of order is under Rule 258. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I had heard you. I have studied that. Do you want me to give a ruling? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Please give me 30 seconds.

MR. CHAIRMAN: No, you have already made your submission.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: That's why I am asking whether you want me to give a ruling.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: No; no. We will have the Private Members' Business.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: This is also equally important. I had heard your point of order. I can give you ruling on that, if you want. I have discussed it with Mr. Deputy Chairman. Please, please.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: That's what I am saying.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: You can't question like that, Mr. Derek. Shri Vishambhar Prasad Nishad. I will ask the Parliamentary Affairs Minister to come and brief you. Please sit down. It is already 2.30 Shri Nishadji. Nothing will go on record, including his off the record comments.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि-

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को पूरे देश में एक समान आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण वे सुविधाओं और रियायतों से वंचित हैं और उपेक्षा के शिकार हैं;

*Not recorded.

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्ति कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर देश के कई राज्यों में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोजगार के अवसरों में कमी के कारण मछुआ समुदाय के लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास कर जाते हैं और वहां स्थाई रूप से बस जाते हैं जिसके कारण वे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस राज्य द्वारा अपेक्षित पत्र जारी किया गया होता है जहां से वे अप्रवास करते हैं;

(iii) आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मछुआ समाज के व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों की श्रेणी में रखे गए हैं। उनकी कुछ पर्यायवाची नामों वाली समनामी जातियां जिनका खान-पान, रीति-रिवाज परंपराएं और रहन-सहन एक जैसा है, को आरक्षण की सुविधा से वंचित कर दिया गया है;

(iv) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 18 पर *'बेलदार'* जाति शामिल है, किन्तु समनामी उपजाति *'बिन्द'* को छोड़ दिया गया है तथा सूची क्रम संख्या 36 में *'गोंड'* जाति को शामिल किया गया है, फिर भी *'गोड़िया', 'कहार', 'कश्यप', 'बाथम', 'धुरिया'* को छोड़ दिया गया है तथा क्रम सं. 53 में *'मझवार'* जाति को शामिल किया गया है, परन्तु *'मल्लाह', 'केवट', 'मांझी', 'निषाद'* को छोड़ दिया गया है; क्रम संख्या 66 में *'तुरैहा'* जाति को शामिल किया गया है, लेकिन *'तुरहा', 'धीवर'* और 'धीमर' जातियों को छोड़ दिया गया है, क्रम संख्या 65 पर *'शिल्पकार'* जाति को शामिल किया गया है, परन्तु *'कुम्हार'*, 'प्रजापति' जातियों को छोड़ दिया गया है; क्रम संख्या 59 में *'पासी', 'तरमाली'* जातियां दर्ज है, परन्तु *'भर', 'राजभर'* को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आरक्षण की सुविधाओं से पर्यायवाची उपजातियां वंचित रह गई हैं;

(v) भारत सरकार द्वारा जारी संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची-VIII में क्रम संख्या 29 पर 'मांझी' तथा क्रम संख्या 30 पर *'मझवार'* जातिं सपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है, परन्तु *'माझी'* और *'मझवार'* की समनामी पर्यायवाची उपजातियों *'धीमर', 'धीवर', 'केवट', 'कहार', 'मल्लाह', 'निषाद'* को छोड़ दिया गया है जिसके कारण आरक्षण की सुविधाओं से ये उप जातियां वंचित हैं;

(vi) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, अनुसूचित जाति की सूची में 'मल्लाह' दर्ज है, जबकि मल्लाह की समनामी पर्यायवाची उपजातियां *'केवट', 'धीमर', 'धीवर', 'कहार', 'कश्यप', 'निषाद', 'तुरहा', 'माझी'* को छोड़ दिया गया है जिससे आरक्षण की सुविधा पाने से ये उपजातियां वंचित हैं;

(vii) बिहार राज्य में *'मल्लाह', 'धीवर', 'धीमर', 'केवट', 'कहार', 'खैरवार', 'तियार', 'माझी', 'खागो', 'बिन्द', 'नाई', 'राजभर', 'धानुक'* को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसके संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था;

(viii) महाराष्ट्र में 'कोली' जाति अनुसूचित जातियों की सूची में है, लेकिन उनकी पर्यायवाची उपजातियां *'भोई', 'धीवर', 'महादेव कोली', 'केवट', 'निषाद', 'मल्लाह', 'कीर', 'किरात', 'गोंड', 'कहार', 'गोड़िया कहार', 'परदेसीभाई', 'राजभोई', 'धीमर', 'कोली', 'ढोर', 'मलहार', 'कोली', 'धनगर कोली', 'कोल्हे', 'कोलगा टोकरे'* अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रखा गया है;

(ix) आंध्र प्रदेश में *'बेस्था', 'बेस्थार', 'गंगापुत्र', 'गंगावार जलारी', 'पत्तपा', 'पाली', 'बन्ने रेड्डी', 'पाले रेड्डी'* आदि को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है; और

(x) गुजरात में *'भोई'* अनुसूचित जाति में शामिल है, लेकिन उसकी पर्यायवाची उपजातियां *'धीनवर', 'महादेवी कोली', 'मल्लाह कीर', 'किरात', 'गोंड', 'कहार गोड़िया', 'कहार', 'परदेसीभोई', 'राजभोई', 'धीमर', 'कोली', 'मलहार', 'धुरिया कहार', 'गोड़िया कहार', 'कोल्वा* को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रखा गया है।

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वहः-

(क) सभी राज्यों में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में राज्य-वार दर्ज जातियों के साथ उनकी समनामी और पर्यायवाची उपजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन कर एक समान सुविधाएं प्रदान करे; और

(ख) संविधान में संशोधन करे ताकि एक राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को संपूर्ण भारत में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति माना जाए।"

सभापति जी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को पूरे देश में एक समान आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण वे सुविधाएं और रियायतों से वंचित हैं और उपेक्षा के शिकार हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्ति कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर देश के कई राज्यों में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोजगार के अवसरों में कमी के कारण मछुआ समुदाय के लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास कर जाते हैं **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः शांति, शांति।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः और वहां स्थाई रूप से बस जाते हैं जिसके कारण वे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस राज्य द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किया

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

गया होता है जहां से वे अप्रवास करते हैं; मान्यवर, मैंने क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक कुछ बिंदु रखे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, गोवा, गुजरात ...**(व्यवधान)**... हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों के व्यक्ति हैं, वे रोज़गार की तलाश में किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। वहां वे सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

महोदय, हमें यह बताना है कि भारत सरकार ने 2011 में जनगणना कराई, Census Report में भी है, क्योंकि हमारा देश एक है। चूंकि रोजगार की कमी है, तो इसके कारण जो विमुक्त जातियां हैं, घुमक्कड़ जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इन जातियों के लोग रोज़गार की तलाश में किसी स्टेट से दिल्ली आ गए या दिल्ली से किसी स्टेट में चले गए, तो उनको अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता है, बल्कि उनको सामान्य category में लिया जाता है। इसलिए मैंने एक महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं यह मांग करना चाहता करता हूं कि यह सभा सरकार से आग्रह करे कि वह सभी राज्यों में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में राज्यवार दर्ज जातियों के साथ उनकी समनामी और पर्यायवाची उपजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 का संशोधन कर एक समान सुविधाएं प्रदान करे और संविधान में संशोधन करे, ताकि एक राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सम्पूर्ण भारत में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति माना जाए।

महोदय, अभी अनुसूचित जाति का एक बिल भी पास हुआ। आज पूरे देश में रोजगार की कमी है। गरीबी किनके पास होती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, उनके पास गरीबी है। भारत सरकार ने अभी तक आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। एक ही स्टेट में एक जिले में व्यक्ति अनुसूचित जाति में है, जबकि उसका रिश्तेदार पिछड़ी जाति में है, उसका अगला रिश्तेदार सामान्य जाति में है। मान्यवर, पूरे देश में इस तरह से विसंगतियां हैं कि जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तमाम योजनाएं बनती हैं, भारत सरकार से बनती हैं, राज्य सरकारों से बनती हैं, लेकिन वे व्यक्ति सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उनकी संख्या की कोई गणना नहीं होती है।

महोदय, अभी हम पिछली बार भी अनुसूचित जाति का एक बिल लाए थे, जिसमें संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 18 पर बेलदार सम्मिलित हैं, किन्तु समनामी उपजाति *बिन्द* को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से सूची क्रम संख्या 36 में *गोंड़* जाति को शामिल किया गया है, जबकि *गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, धुरिया* को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से क्रम संख्या 53 में *मझवार* जाति शामिल है, परन्तु *मल्लाह, केवट, मांझी, निषाद* को छोड़ दिया गया है। फिंर क्रम सख्या 66 में *तुरैहा* जाति शामिल है, लेकिन *तुरहा, धीवर, धीमर* जातियों को छोड़ दिया गया है। फिंर क्रम सख्या 65 में *शिल्पकार* जाति को शामिल किया गया है, परन्तु *कुम्हार, प्रजापति* जातियों को छोड़ दिया गया है। फिंर क्रम सख्या 59

में *पासी, तरमाली* जातियां दर्ज हैं, परन्तु भर, *राजभर* को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में *मांझी* एसटी में है, लेकिन उसकी उपजातियां *धीवर, धीमर, केवट, कहार, मल्लाह, निषाद* को छोड़ दिया गया है। दिल्ली में *मल्लाह* अनुसूचित जाति में दर्ज है, जबकि उसकी समनाम पर्यायवाची जातियां, जिनकी रोटी-बेटी, जिनका खानपान, रीति-रिवाज़ एक जैसा है, उसकी जो उपजातियां हैं, *केवट, धीमर, धीवर, कहार, कश्यप, निषाद, तुरहा, मांझी,* उनको छोड़ दिया गया है। इससे आरक्षण की सुविधा पाने से ये जातियां वंचित हैं। फिर बिहार राज्य में भी समनामी जातियां *मल्लाह, धीवर, धीमर, केवट, कहार, खैरवार, तियार, मांझी, खागो, बिन्द, धानुक, नाई,* राजभर को छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र में कोली जाति अनुसूचित जाति में है, लेकिन उसकी पर्यावयवाची जातियां *भोई, धीवर, महादेव, कोली, केवट, निषाद, मल्लाह, कीर, किरात, गोंड, कहार, गोड़िया कहार, परदेसीभाई, राजभोई, धीमर, कोली, ढोर, मलहार, कोली, धनगर कोली, कोल्हे, कोलगा टोकरे* जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से आन्ध्र प्रदेश में *बेस्था, बेस्थार, गंगापुत्र, गंगावार जलारी, पत्तपा, पाली, बन्ने रेड्डी, पाले रेड्डी* आदि समनामी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया है।

मान्यवर, इस तरह से पूरे देश में उनकी समनामी जातियां हैं। आज पूरे देश में लोग रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। राज्य सरकारें कहती हैं कि हमें दूसरे राज्य की सूची नहीं माननी है। अभी हमने देखा कि एसटी की जो जातियां हैं, वे आंध्र प्रदेश में 34 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 16 हैं, छत्तीसगढ़ में 42 हैं, गोवा में 8 हैं, कर्नाटक में 50 हैं, केरल में 53 हैं, महाराष्ट्र में 47 हैं, मणिपुर में 34 हैं, ओडिशा में 62 हैं, तेलंगाना में 32 हैं, त्रिपुरा में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 16 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, राजस्थान में 12 हैं, सिक्किम में 4 हैं, तमिलनाडु में 36 हैं और मध्य प्रदेश में 46 हैं। इस तरह से जो एससी/एसटी की जातियां हैं एवं अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके नाम प्रत्येक राज्य की सूची में दर्ज हैं। अगर उन्हें अपने प्रदेश में रोज़गार नहीं मिल रहा और रोज़गार की तलाश में वे किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहां जाकर वे जहां के निवासी हैं, वहां का मूल प्रमाणपत्र दिखाते हैं, तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि तुम नौकरी पाने के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा नाम हमारे राज्य की सूची में दर्ज नहीं है। इस कारण यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे देश के उस वंचित एव गरीब समाज के लिए है, जिसको एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। अगर कहीं वे रोज़गार की तलाश में चले गए, तो वहां उनको सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस संकल्प को आप पास कीजिए। वैसे आप हमारा संकल्प तो पास करेंगे नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप स्वयं एक सरकारी संकल्प लाएं, सरकारी विधेयक बनाकर लाएं और उसे पास करवाएं। अगर आप वास्तव में, पूरे राष्ट्र में 'सबका साथ, सबका विकास' चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय देने का काम करें। जो आज पूरे देश में भटक रहे हैं, जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं, उनको न्याय देने का काम करें। राजनीति में हम देखते हैं कि जब बहुत से लोग कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि हम दलित के यहां भोजन करते हैं। वे हमारे बिंद समाज के यहां, उत्तर प्रदेश में भोजन करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिदं समाज अनुसूचित जाति में नहीं हैं। लोग वोट के लिए, राजनीति के लिए यह सब करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, असली में उनके लिए काम किया जाना

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

चाहिए। देश की राजसूची में जो पूरे देश की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियां दर्ज हैं, उनको राज्य-वार पूरे देश में एक समान कर दिया जाए, जिससे वंचित एवं गरीब व्यक्तियों को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से आग्रह करता हूं कि मेरा संकल्प स्वीकृत किया जाए।

The question was proposed.

श्री सभापतिः माननीय सदस्यों, मैं एक और बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, पहले हम Non-official bills ले रहे हैं और Non-official bills के लिए जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं, वे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दो बिल्स और लेंगे और फिर 'वंदे मातरम्' होगा। जो बिल पहले लिस्टेड था, 'Tripple Talaq Bill', वह अभी नहीं ले रहे हैं, इसका कारण यह है कि अभी इसमें आपस में सब एकमत नहीं हो पाए हैं। चूंकि आज लास्ट डे है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए हम सब smoothly काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्री वीर सिंह जी।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति महोदय, श्री विशम्भर प्रसाद जी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के संबंध में आज जो समस्या लेकर आए हैं, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने भारतीय संविधान बनाते हुए यह परिकल्पना की थी कि देश के अंदर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के जितने भी लोग हैं, उनको एक समान अधिकार मिलेंगे और भारतीय संविधान के तहत, सबके लिए बराबर आरक्षण की व्यवस्था होगी। किंतु हुआ यह कि हमारे देश में बेरोज़गारी के कारण एवं सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर, बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग, अपनी रोज़ी-रोटी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए। उदाहरण के लिए बिहार के बहुत सारे लोग अपनी रोज़ी-रोटी के लिए दिल्ली आ गए अथवा उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोग मुम्बई चले गए। इसका परिणाम यह हुआ, जब उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि प्रदेशों के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए और वहां अपनी रोज़ी-रोटी कमाने लग गए, तो उनको वहां की प्रदेश सरकारों ने उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया। जब उनके बच्चे पढ़-लिख कर तैयार हुए और उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन भरा, तो उन प्रदेशों में उनको अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया, इससे भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, उससे वे वंचित रह गए। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक, पूरे देश में लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लोग आरक्षण से वंचित हैं। उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। मैं इस प्रदेश में अनुसूचित जाति में हूं, लेकिन दिल्ली में आकर, महाराष्ट्र में जाकर या अन्य प्रदेशों में जाकर मुझे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, इसलिए मुझे उसका फायदा नहीं मिल रहा है। पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहूंगा कि पूरे देश में, जो हमारे इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अपनी रोज़ी-रोटी के लिए जाकर बसे हैं और वहां के मूल निवासी हो गये हैं, उनको वहां पर जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो वे लोकतंत्र में भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं। जब वहां पर स्थानीय निकाय का या परिषद का चुनाव होता है, तो वे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उसमें

भी भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस प्रदेश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। इसका समाधान होना चाहिए।

दूसरा, समय-समय पर भारतीय संविधान में संशोधन करके कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है। हमारी नेता, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार कहा है कि हम पिछड़ी जातियों के विरोध में नहीं हैं। यदि आप पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, किन्तु उनको सम्मिलित करने के साथ-साथ जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उस रेश्यो से आरक्षण भी बढ़ाया जाए। किसी न किसी प्रदेश में दो-तीन साल के बाद संविधान में संशोधन करके यह संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है, किन्तु उस हिसाब से अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण आज भी वही है, जो भारतीय संविधान में संविधान बनाते समय निश्चित किया गया था। तो उपसभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से हम विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति-जनजाति में सम्मिलित कर रहे हैं, उसी रेश्यो से आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए।

तीसरा, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन इन 70 सालों में आज तक पूरे देश के अन्दर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो किसी भी प्रदेश की सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने आज तक आरक्षण पूरा किया है, न तो एससी का, न एसटी का और न ही ओबीसी का। यदि आपकी नीयत साफ है, आपकी सरकार की नीयत साफ है, यदि आप एससी, एसटी के हितैषी हैं, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आरक्षण पूरा कीजिए। अभी किसी भी विभाग में आरक्षण पूरा नहीं है। आप एससी के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर जयंती मनाते हैं, बाबा साहेब के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, किन्तु अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कभी न्याय देने का काम नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा न्याय है - आरक्षण, सबसे बड़ा न्याय है - शिक्षा।

आज पूरे देश के अन्दर शिक्षा एक समान नहीं है। आज शिक्षा का बुरा हाल है। आज प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा किसी भी competition में पास नहीं हो सकता। इस तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। प्राइमरी स्कूल में आज जो शिक्षा दी जाती है, पट्टी पर बैठा कर, उसको कक्षा 5 तक A,B,C,D अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती है। कक्षा 6 में जाकर वह A,B,C,D, पढ़ाई जाती है। एक ओर modern public schools में Nursery, LKG से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो गरीब बच्चा उन बच्चों से मुकाबला कहां से कर लेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की हितैषी है, तो देश के अन्दर एक समान शिक्षा करनी चाहिए। आज एक समान शिक्षा नहीं है। आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन आज तक गरीबों के लिए आपने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। आज शिक्षा इतनी महंगी इसलिए हो गई है, क्योंकि आपने शिक्षा का privatization कर दिया है, आपने इसको commercial बना दिया है। आज एक गरीब व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो या अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जातियों का हो, वह अपने बच्चों को

[श्री वीर सिंह]

अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करा सकता है। आपने शिक्षा को commercial बना दिया है। वैसे आप अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपने उनका आरक्षण पूरा नहीं किया। आप सभी सरकारी विभागों और बड़ी-बड़ी कम्पनियों को प्राइवेट सेक्टर में देते चले जा रहे हैं। जहां देश में उनका आरक्षण पूरा करने की बात चल रही है, वहीं आप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उनके हितों की बात नहीं हो रही है। उनके साथ अहित हो रहा है। हम देखते हैं कि जबसे देश में एन.डी.ए. सरकार आई है, सरकारी विभागों और बड़ी-बड़ी सरकारी कम्पनियों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। हमारी नेता, बहन मायावती जी ने इसी सदन में माननीय मोदी जी के सामने कहा था कि हम इसके विरोधी नहीं हैं कि आप सरकारी कम्पनियों को प्राइवेट हाथों में दें, अच्छी बात है, किन्तु जिस प्रकार से परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने भारत का संविधान बनाते समय हर सरकारी विभाग में आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसी आधार पर सरकारी कम्पनियों को प्राइवेट हाथों में देने के बाद, क्या आप उनमें एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं चाहूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में सरकारी कम्पनियां दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी नेता को कोई एतराज़ नहीं है, किन्तु प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब यहां सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आज जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब वे रिटायर होंगे, उसके बाद जो नई भर्तियां होंगी, यह काम पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। फिर एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। फिर तो यह लाला की दुकान हो जाएगी। उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वे रखें या न रखें, क्योंकि कानून में प्रावधान ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप सही मायने में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. के हितैषी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में सरकारी अदारों को देते समय इन लोगों के आरक्षण की व्यवस्था जरूर करें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में आज सरकारी नौकरियों में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. कैटेगरी का backlog पूरा नहीं है। देश के अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, request करूंगा और मांग करूंगा कि पूरे देश में ...**(व्यवधान)**... मैं आराम से बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया सदन में शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंहः मैं आराम से ही बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया किसी को disturb न करें और सदन में शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंहः माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी का backlog पूरा नहीं है। मैं अपनी नेता, बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब-जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, बहन मायावती जी ने विशेष अभियान चलाकर सभी सरकारी

विभागों से रिपोर्ट मांगी कि उनके यहां एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. का सरकारी नौकरियों में कितना backlog है? उसके आधार पर, विशेष अभियान चलाकर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. का सरकारी नौकरियों में backlog पूरा करने का काम किया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बहन मायावती जी में इच्छाशक्ति थी, उनके दिल में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. के प्रति दर्द था, तभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. का backlog पूरा करके दिखाया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप सभी प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. का backlog पूरा कीजिए।

दूसरी बात, 2011 में हमारे देश में जनगणना हुई थी। उसके बाद से आज तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया कि एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी. के लोगों की कहां और कितनी संख्या है, कितने एस.सी. हैं, कितने एस.टी. हैं, कितने ओ.बी.सी. हैं और कितने सामान्य जातियों के लोग हैं, क्यों आप इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? उसको न आपने सार्वजनिक किया और न आपने किया। आज इसको लेकर पिछड़ी जाति के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यूपी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई है, उसको सार्वजनिक किया जाए। जब इसको सार्वजनिक किया जाएगा, तब यह पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या है, उसके हिसाब से बांट दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय वीर सिंह जी, आप अपना समय देखिए, समय खत्म होने वाला है। आप समय का ध्यान रखें। ...**(व्यवधान)**... आप सभी लोग समय का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के बीच से ही यह प्रस्ताव है कि आज शुक्रवार को हम कम समय में चीजें पूरी करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश)ः सर, समय बदलने वाला है, इसलिए इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय वीर सिंह जी, आप conclude करें।

श्री वीर सिंहः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग परेशान हैं, क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों के ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग, जो मुम्बई में जाकर बस गए हैं, दिल्ली में बस गए हैं, उनको वहां की सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं यही निवेदन करते हुए कि भारत के संविधान में परम पूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को पूरा करना चाहिए और उनका आरक्षण पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग्स हैं, वे पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही यह भी मांग है कि पूरे देश में जहां पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग बस गए हैं, उनको वहां की सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय प्रदीप टम्टा जी। ...**(व्यवधान)**... आप लोग कृपया शांति बनाए रखें।

3.00 P.M.

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। यह इस देश की विडंबना है कि यहां सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान की जाति नहीं बदल सकती। हम इस देश को बहुत महत्वपूर्ण, लोकतांत्रिक,समाजवादीसमाजबनानाचाहतेहैं,लेकिनहमलोगइसजातिनामकसंस्थाकोसमाप्त नहीं करना चाहते हैं। डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इन जातियों के नाश के संदर्भ में लिखा था, जब एक संस्था ने उनको बुलाया और उनसे यह कहा कि जाति उन्मूलन, जाति तोड़ो संस्था में आप अपना वक्तव्य दीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था से देश परेशान है और उसी लाहौर की समिति में जब उनका वक्तव्य गया, तो उसको वहां पर पढ़ने से उनको मना कर दिया गया। वह इतिहास में आज भी है कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी, जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक, समाजवादी देश और समाज की कल्पना नहीं कर सकता है और असमानता इस देश से कोई नहीं हटा सकता है। यह जो संस्था है, यह जो रोग है, अभी भारत ने देखा, अब एक दिन दुनिया भी इस रोग को देखेगी। यह भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोग है।

हमारे साथी ने यह जो संकल्प लाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। हिन्दुस्तान में डा. भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा के सदस्य बने, जिस समय वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख, 'स्टेट एण्ड माइनॉरिटीज़' है, उसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि जब एक बार कोई व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति का है, तो उसके अधिकार, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में जाए, उसको अनुसूचित जाति के अधिकार मिलने चाहिए। आज आप उत्तर प्रदेश से बिहार जाएं, तमिलनाडु से हिमाचल प्रदेश या दिल्ली में आएं, अगर कोई आपको जानता नहीं होगा और आपका सामाजिक परिचय होगा, तो वह आपसे आपका नाम पूछेगा, मैं अपना नाम प्रदीप टम्टा बताऊंगा। उसके बाद वह पूछेगा कि टम्टा किस जाति में आता है। यह हमारे समाज की हकीकत है। यह हमारे समाज का एक परिचय नहीं है। जब तक दूसरा परिचय साफ न हो जाए, व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाएगा या आपसे दूरी बनाएगा, यह तय नहीं हो पाता।

आज जब यह देश आज़ाद भारत बन गया है, जब देश में लोग अपने रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो उनको वहां पर ये सुविधाएं क्यों न मिलें? ये अजीब तरह की स्थितियां हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड से मुम्बई, महाराष्ट्र में चला जाता है, उस राज्य की सेवा में परिवार वहां बस जाता है, उसके बच्चे वहां खड़े हो जाते हैं, उनकी शिक्षा वहीं की है, लेकिन अगर वह उस राज्य में अपना अनुसूचित जाति का हक मांगेगा और उस स्टेट की अनुसूचित जाति की लिस्ट में उसकी जाति का नाम नहीं है, तो उसको Scheduled Caste का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर वही व्यक्ति मुंबई में ही रहते हुए, केंद्रीय सेवाओं के लिए आवेदन करेगा, तो उसे उसके मूल राज्य के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति को राज्य की सेवाओं में आप SC category का नहीं मान रहे हैं और ST category का मान लेते हैं। महोदय, इस विडंबना को, इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अगर किसी को एक बार Scheduled Caste का स्टेटस मिल गया, तो उसको वे तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ नौकरियों का ही सवाल नहीं है, बल्कि जब कोई Scheduled Caste का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है,

दूसरे राज्य में जाता है, वह वहां नया आदमी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक उसके अगल-बगल के लोग उसकी सोशल प्रोफाइल नहीं जान जाते, तब तक उसका जीना सुलभ नहीं होता है। वह किस से मित्रता बनाए, किस से संबंध बनाए, किस से संबंध न बनाए, यह उसका सोशल प्रोफाइल, उसकी जाति ही निर्धारित करती है। अगर वह अनुसूचित जाति का है, तो उसके साथ जाति विभेद होता है, जाति उत्पीड़न होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि फिर वह कहां जाएगा। उस राज्य में पुलिस का अधिकारी कहेगा कि आप अनुसूचित जाति के नहीं हो, क्योंकि इस राज्य में आपकी जाति Scheduled Caste का स्थान नहीं रखती है। इससे उस पर अत्याचार तो उसकी जाति के कारण होगा, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिलेगा कि वह अनुसूचित जाति के अधिकार का प्रयोग करके उस पर SC-ST Act लागू कर से। यह एक विडंबना है।

उपसभापति महोदय, आज हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ब्रिटेन में भी यह मामला चल रहा है। यूके में अनुसूचित जाति के लोग अपने ऊपर जाति उत्पीड़न - यह देश बड़ा गजब है, यह विश्व गुरु है देश है। जब कोई बाहर इंग्लैण्ड भी चला जाता है, तब भी वह अपनी जाति पहचान को, जाति दंभ को नहीं छोड़ पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की सरकार ने भी माना है कि जाति नामक संस्था है, जिसमें उत्पीड़न का अधिकार है, oppression का अधिकार है। वहां पर एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन वहां के लोग उस पर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन ब्रिटेन में जाने वाले, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे मांग रहे हैं कि जाति को भी भेदभाव का आधार माना जाए, दुनिया के अंदर भी माना जाए। यह racial discrimination से भी ज्यादा खतरनाक है। माननीय उपसभापति महोदय, आप रंग को रंग से देखकर किसी के साथ संबंध बनाने के लिए तय कर सकते हैं, लेकिन क्या मुझसे संबंध बनाने के लिए आप मेरे रंग के आधार पर, मेरे रूप के आधार पर तय कर सकते हैं कि मैं किस जाति का हूं? मेरे राज में यह भेद दुनिया में Social Discrimination का सबसे वीभत्स रूप है। यह नस्लवाद से भी ज्यादा वीभत्स है, जहां व्यक्ति से पूछकर दूसरा व्यक्ति तय करता है कि मैं उसके साथ प्रेम के संबंध रखूंगा या घृणा का संबंध रखूंगा। इसका उन्मूलन होना ही चाहिए। यहां पर एक और सवाल है कि इस संकल्प को आगे बढ़ाया जाए। कल ही एससी-एसटी का बिल आया था, उसे सरकार ने बड़ी जल्दबाज़ी में पास करवा दिया, उस पर बहस भी नहीं हुई। इस देश में हम जिस judiciary से न्याय मांगते हैं, सभी इस देश की उच्चतम न्यायपालिका की ओर देखते हैं कि वहां पीड़ित न्याय के लिए जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति का व्यक्ति देखता है कि सबसे ज्यादा अन्याय उसी देश की सबसे बड़े न्यायालय में हो जाता है। सर, मैं तीन उदाहरण देना चाहूंगा। इंदिरा साहनी का केस था, ओबीसी को आरक्षण मिले या नहीं मिले, इस पर बहस होती थी। उस पूरे कानून में कहीं भी एससी-एसटी का सवाल नहीं था। ओबीसी का आरक्षण तो उचित और संवैधानिक था ही, लेकिन न्यायालय ने तय कर दिया कि एससी और एसटी का प्रमोशन असंवैधानिक है। न हमको मौका दिया गया, न सुना गया, न हमारा मामला एससी-एसटी का था और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने ऐसा कहा। अगर यह पंचायत, देश की सबसे बड़ी संसद न होती और अगर उसमें यह संशोधन न करती, तो देश का यह वर्ग, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, यह किस दरवाज़े पर जाता?

दूसरा उदाहरण एस. नागराज का है। उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और आज सरकार भी कह रही है कि हम नागराज के रिव्यू में जाएंगे। आखिर, नागराज का मामला क्या है? वह मामला यह है कि

[श्री प्रदीप टम्टा]

प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अवसर दिया जाए। यह कोर्ट ने भी मान लिया कि हां, इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने की जो बात है, वह संवैधानिक है। इस देश में वर्ष 1964 में जस्टिस गजेन्द्र गडकर ने भी एक फैसला दिया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय प्रदीप टम्टा जी, आपकी पार्टी के अभी तीन और वक्ता हैं, प्लीज़ अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रदीप टम्टाः सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। वहां भी जब नागराज केस का डिसीज़न आया, तो उसमें कहा गया कि प्रमोशन तो संवैधानिक है, लेकिन पहले तीन शर्तें तय की जाएं। वे तीन शर्तें ये थीं कि आप बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़े वर्ग में आते हैं या नहीं आते, आपका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है या नहीं है या आपके आने से दक्षता पर तो कोई असर नहीं पड़ता? इंदिरा साहनी वाले मामले में कोर्ट ने आर्टिकल 16(iv) में फैसला दे दिया कि एससी और एसटी बैकवर्ड क्लास में आते हैं। एस और एसटी का प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उनको आरक्षण दिया जा रहा है। जब इनिशियल रिक्रूटमेंट में ही हमारी संख्या नहीं है, तो हम कहां आसमान की छत पर चढ़ जाएंगे, महाराज। जब हमारी प्रथम नियुक्ति में राज्य की दक्षता में कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर प्रमोशन से दक्षता में कहां असर पड़ जाएगा? वहीं, एससी-एसटी के संबंध में जो दो बेंच की जजमेंट आयी, जिसको हमारे देश की संसद ने बदल भी दिया, उसमें भी यही कहा गया था कि एससीज़-एसटीज़ के साथ अत्याचार में सजाएं कम होती हैं। यह दोष हमारा नहीं है। यह इन्वेस्टिगेशन का दोष हो सकता था, जांच की प्रक्रिया विज्ञान-सम्मत नहीं है। इस वजह से भी ऐसा हो सकता था, लेकिन कह दिया गया कि यह ऐक्ट असंवैधानिक है। इसलिए मेरा फिर से यह कहना है कि हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा लाया गया जो संकल्प है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में व्यक्ति अपने मन से किसी जाति में न जन्म लेता है, न वह अपनी जाति को बदल सकता है और ऐसे में अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो यह उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए माइग्रेशन कोई गैर-कानूनी नहीं है, इसलिए उनको भी अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकार दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात)ः उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने प्रॉमिस भी किया था कि जो पिछली सीट पर बैठे लोग हैं, उनको आप मौका देंगे। आज आपने वह वायदा पूरा किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभारी हूं।

सर, हमारे भाई श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी जो संकल्प लेकर आए हैं, यह बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन सरकार के साथ बैठकर अगर यह सरकार के बिल के स्वरूप में आया होता, तो यह बहुत क़ाबिल हो जाता, इसको अग्रता मिल जाती और एक तरह से यह एक बिल बन जाता। मैं आपको बताऊं कि यह एक गम्भीर समस्या है और मैं अपने भाई के साथ पूरी तरह से सम्बद्ध हूं। सर, मेरे दोनो भाईयों ने जो बताया, उससे मैं पूरी तरह से सम्बद्ध रखता हूं। मैं खुद मछुआरा समुदाय से हूं। मैं सफेद

कपड़े या अच्छा सूट-बूट पहने हुए तो हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जात छुपा नहीं सकता हूं, हमारा रहन-सहन, खाना-पीना अभी भी वही है। सर, मैं अभी इलेक्शन में इलाहाबाद गया था, वहां गंगा नदी के किनारे हमारे जो भाई लोग रहते हैं, उनका मैंने रहन-सहन देखा। गुजरात में हमारे जो भाई समुद्र किनारे मछली पकड़ते हैं, उनका रहन-सहन भी वही है। मैं बिहार में नदी किनारे गया, मैं यू.पी. गया, वहां भी हमारे भाई इसी तरह रहते हैं, खाना पकाते हैं, झोंपड़ में रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कहीं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार में हो, यह रहन-सहन, खाना-पीना, काम करना, मछली पकड़ना, किस तरह से मछली पकड़ी जाती है या तो आधुनिक तरीके से पकड़ी जाती है या जाली डालकर या बिना मशीन के पकड़ी जाती है, लेकिन सब एक ही तरह है, इसमें कोई अलग नहीं है। हिन्दुस्तान में दिल्ली से लेकर लगभग 23 राज्यों में मछुआरे हैं। मैं ऐसे प्रदेशों में गया था, तो वहां मुझे पता चला कि यहां भी मछुआरे हैं। सर, मैं दुःख के साथ एक बात ज़रूर कहूंगा कि हमारे दोनों भाई जो बोल रहे थे, मैं किसी की निन्दा नहीं करता हूं, मैं आज मेरे समाज की बात कर रहा हूं, जिन मछुआरों को अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्वेशन में शामिल किया था, यू.पी. में जब * की गवर्नमेंट थी, तभी घटा दिया गया। क्यों घटा दिया गया? महाराष्ट्र में, गुजरात महाराष्ट्र एक राज्य था। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): क्या घटा दिया गया? ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः मैं आपको बताऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): कहां घटाया? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**... उनकी बात पूरी होने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः सर, ये आरोप लगा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः मुझे दो शब्द बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप यहां भी अनुसूचित जाति, मछुआरा जाति को बोलने नहीं देते। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया उन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः आप लोगों ने काट दिया, यहां भी मछुआरों को बोलने नहीं देते। ...**(व्यवधान)**... मुझे बात करने दीजिए ...**(व्यवधान)**... अगर मैं बोलूं, तो मेरे पास चिट्ठा है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप लोग अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... इन्हें अपनी बात कहने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि यह रिज़र्वेशन खत्म कर दिया गया है, उसमें कम कर दिया गया था। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको कागज़ पर लिखकर देता हूं। ऐसी कोई मेरी बात नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं ...**(व्यवधान)**... मेरी जो जाति है, मेरा जो समाज है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं।

*Withdrawn by Hon. Members.

श्री नीरज शेखरः सर, यहां बहन जी नहीं है, तो ये उनका नाम कैसे ले रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः कौन बहन जी? ...**(व्यवधान)**... आप किस बहन जी की बात कर रहे हैं, यू.पी. में कौन बहन जी हैं? यू.पी. में बहुत बहन जी हैं। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Why are you disturbing me? I am not yielding. You are not allowing me. ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः गोहेल जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलें। ...**(व्यवधान)**... आप कृपया बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश)**:** सर, कल यह बात आयी थी कि नाम नहीं लिया जाएगा। ये कैसे नाम ले रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप इस मर्यादा का पालन करें कि जो यहां नहीं हैं, उनका नाम नहीं ले सकते। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** महोदय, मेरा अनुरोध है कि नाम कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः कोई बात नहीं, महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। I withdraw my word.

श्री उपसभापतिः जो सदन में मौजूद नहीं हैं, कृपया उनका नाम न लें।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः सर, मैं पिछली सरकारों को बोलूंगा। पिछली सरकारों में यू.पी.ए. में, यहां हमारे जो दो मछुआरे भाई बैठे हैं, उनको भी पता है कि मछुआरों को अनुसूचित जाति, जनजाति में लिया गया था और उसका प्रमाण काट दिया। महोदय, कहार, कश्यप, मलहार, कोली, सभी एक ही हैं। जिस तरह ब्राह्मण में चार जातियां हैं, चार जातियों में भी कई जातियां हैं, हमारे ब्राह्मण पूजनीय हैं, कोई भी ब्राह्मण हो, छोटा, बड़ा कोई ब्राह्मण हो। किसी जाति का ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है, लेकिन मैं यह बात कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः सर, ये क्या बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश)**:** सर, इसे निकाला जाए ...**(व्यवधान)**...

†**جناب جاوید علی خان** : سر، اسے نکالا جائے ---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः वे तो अपने विचार रख रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः सर, ये कह रहे हैं पूजनीय हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप बैठ जाइए, आपने अपने विचार रखे, उनको अपनी बात कहने दें। ...**(व्यवधान)**...

†Transliteration in Urdu script.

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः सर, जो प्रवासी मछुआरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां उनको बहुत समस्या होती है। मान लीजिए आंध्र से निकलकर महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र से गोवा में जाते हैं, गोवा से उठकर तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में जाते हैं, आंध्र वाले गुजरात में आते हैं। हमारे यहां 20-25 साल पहले बहुत कठिनाई थी। आंध्र की फिशिंग बोट आती थी, तो हमारे यहां उन फिशिंग बोट्स को बंदरगाह पर नहीं लाने दिया जाता था। हम लोगों ने क्या किया? हम सब मछुआरे युवा लोग इकट्ठे हुए और बताया कि जो मछुआरे फिशिंग करने के लिए आते हैं, उनको बोट अंदर क्यों नहीं लाने देते? इसका परिणाम यह हुआ कि अभी जो लास्ट टाइम में साइक्लोन हुआ था, तब गोवा में और गुजरात में जितनी भी फिशिंग बोट्स हैं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु से जितनी भी फिशिंग बोट्स आई थीं, उन सभी को हमने गुजरात में लिया और जहां बंदरगाह है, वहां सबको लिया, लेकिन सर, जो पाया की हमारी तकलीफ है, उसको अनुसूचित जनजाति में लिया गया है, उसमें हमें कहीं भी समझा नहीं जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो मछुआरे मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, उन सभी को अनुसूचित जनजाति में लिया जाए। उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे मिलें, यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नीरज शेखरः आपकी सरकार केन्द्र में है। ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः आप लोगों ने बंद कर दिया था, अभी रहने दीजिए, बात मत करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य प्रो. मनोज कुमार झा। ...**(व्यवधान)**... आप आपस में कुछ ...**(व्यवधान)**... आप दोनों चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप दोनों की बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**... प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार)**:** आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

"न त्वहं कानयं राज्यं न स्वर्गं नः पुनभवः।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्।।"

सर, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे दूसरे सदन लोक सभा में 55 वर्ष पूर्व प्रो. हीरेन मुखर्जी जी, one of the greatest Parliamentarians said this. He borrowed it from *Bapu*. बापू ने मार्कण्डेय पुराण के इस श्लोक में थोड़ी तब्दीली की थी, समकालीन संदर्भों में, जिसका मतलब था, I don't want a kingdom; I don't wish to be reborn; what I simply want is the elimination of poverty and exploitation in any form. सर, 70-71 साल बाद भी हम उन्हीं मसलों पर कमोबेश सदन में वापिस आते हैं। मुझे स्मरण है कि वर्ष 2014 में लोक सभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के हमारे एक सीनियर साथी ने कहा था कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है और भाजपा के हमारे तमाम मित्र उनके पक्ष में आ गए थे कि सचमुच गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। सर, यह सुनने में बड़ा शायराना लगता है और काव्यात्मक भी है कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। यह अच्छा डायलॉग है। लेकिन जातियों में गरीबी है। ऐसा क्यूं है कि जातिगत पदानुक्रम में Caste hierarchy में हम नीचे जाते हैं, तो

[प्रो. मनोज कुमार झा]

concentration of poverty goes up और जब हम ऊपर जाते हैं, तो poverty थोड़ी घटती है। मेरा इससे इंकार नहीं है कि अन्य जातियों में भी गरीबी है, लेकिन वह जाति की वजह से नहीं है। अगर ऐसा होता, तो जाति चली जाती। हमारे बीच में से जाति जा ही नहीं रही है। हम यहां बैठे हों या वहां बैठे हों, जाति हमारी धमनियों में है, हमारे संस्कार में प्रवेश कर गयी है, हमारे सामंती संस्कार में है - चाहे दक्षिण हो, वाम हो, मध्य हो - मनसा, वाचा, कर्मणा। जातिगत सहूलियत और विशेषाधिकार हमारे ज़हन में जाता ही नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हम हर वर्ष बाबा साहेब का माल्यार्पण करते हैं, मालाएं मोटी होती जा रही हैं, लेकिन बाबा साहेब को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता बदलती है। कल वहां ये बैठ जाएंगे, हम कल कहां होंगे, वह पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ चेतावनियां दी थीं। उन्होंने वे चेतावनियां सेंट्रल हॉल में दी थीं, जहां हम लोग बैठकर चाय, कॉफी पीते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सामाजिक लोकतंत्र तब्दील नहीं होगा, तो तुम्हारा ज्वालामुखी धधकता रहेगा। दूसरी चेतावनी दी थी कि हीरो वर्शिप मत करना, मुद्दे गौण हो जाते हैं। महोदय, हम अद्भुत बुत-परस्त मुल्क हैं, हम हर वर्ष एक नया बुत बनाते हैं। अगले वर्ष विसर्जन करते हैं, चाहे चुनाव के मध्य करें या चुनाव के बाद करें। सर, ये चिंताएं, जब my fellow Member, विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो रखा, when I read it, I thought I have no other option but to stand and support the Resolution.

श्री उपसभापतिः माननीय झा जी, आपका समय खत्म हो रहा है।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं छोटे दल से आता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप कम समय में बेहतर बातें कहते हैं और समय का अनुपालन भी करते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं चार मिनट का समय देखकर आया था, पता नहीं उसमें कटौती कब हो गयी।

श्री उपसभापतिः पार्टी के अनुसार जो समय एलोकेट हुआ है, वह समय खत्म हो रहा है, आप अपनी बात कन्क्लूड करें।

प्रो. मनोज कुमार झाः कन्क्लूड नहीं। मुझे डेढ़ मिनट का समय दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं समझता हूं कि जाति को भी समझना जरूरी होगा और पलायन को भी समझना जरूरी होगा। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं कि एक राज्य में इस लिस्ट मे हैं और दूसरे राज्य में किसी लिस्ट में नहीं हैं। आप उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया - एक प्रमाण पत्र पाना कितना कठिन होता है, यह मुझसे पूछिए। आज ही, मेरे विश्वविद्यालय वाले आवास में मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, मैंने अभी इधर शिफ्ट नहीं किया है, मैंने राज्य सभा में फोन करके कहा कि 2301 नम्बर से फोन जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा - यह है हमारे मुल्क की हकीकत। आरक्षण पर बार-बार बहस होती है, यह भीख या खैरात नहीं है। आरक्षण, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो हजारों वर्ष के उत्पीड़न के बदले एक टोकन है- अभी भी एक टोकन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जातिगत जनगणना के बारे में कई दफा चर्चा हुई, मैं खुद इस सदन में चार बार इस बात को उठा चुका हूं। मैं इस सदन को आगाह करता हूं कि अगर जातिगत जनगणना के

आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए तो मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने समाज को ज्वालामुखी में तब्दील कर रहे हैं। किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी आबादी है, कौन कहां खड़ा है, किसकी अवस्थिति स्थिति अब क्या है? सर, आप पहली बार आसन पर बैठे हैं। आप मेरे राज्य के हैं, थोड़ी कृपा कर दीजिए।

श्री उपसभापतिः आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन जितना समय आपने मांगा था, मैंने उससे ज्यादा दे दिया। आपने डेढ़ मिनट का समय मांगा था, मैंने आपको दो मिनट दे दिए हैं।

प्रो. मनोज कुमार झाः बस चालीस सेकेंड और चाहता हूं। अगर आप बीच में कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होती है। हम निजी क्षेत्र से भीख नहीं मांग रहे हैं। निजी क्षेत्र उतना निजी नहीं है, जिसमें जितना कुछ हम देते हैं, चाहे tax holiday हो, चाहे अन्य तरह की सुविधाएं हों, वे निजी नहीं हैं, लेकिन अगर उसमें हम अपने अधिकार की मांग नहीं करेंगे तो बाज़ार मूलतः हिंसक होता है। सर, मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहता हूं। यह मैं हम सबकी तरफ से कहना चाहता हूंः-

"दीप जिसका महल्लात ही में जले,
जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले,
वो जो साए में हर मसलहत के पले,
ऐसे दस्तूर को, सुबह-ए-बे-नूर को,
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय निषाद जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। अजीब सी-बात है, दिल्ली में, एनसीआर में मल्लाह जाति अनुसूचित जाति में है, अगर वह यमुना पार करके नोएडा में चला गया और वहां बस गया तो वह नहीं है, वह ओबीसी में है। इस प्रकार की दिक्कत और परेशानियां पूरे प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में जब Reorganization of Indian States हुआ, उसके पहले विंध्य प्रदेश सी स्टेट था, वहां मल्लाह जाति आदिवासी में आती थी और उसके आधार पर प्रमाण पत्र लेकर लोग नौकरियों में आ गए। जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसे आदिवासी category से हटाकर, Schedule से हटाकर अलग कर दिया गया। उस समय के जो लोग अनुसूचित जनजाति के आधार पर नौकरी पा गए थे, उनकी नौकरी पर खतरा आ गया और कइयों को निकाल भी दिया गया। हम लोगों ने हमारे शासन में यह निर्णय लिया था कि नए लोगों के बारे में तो विचार किया जा सकता है कि उनकी भर्ती न हो, लेकिन पुराने लोग, जो उस समय के हैं, उनको नौकरी में कायम रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक दो बार, तीन बार निषाद जाति की आदिवासी सीटों पर लड़ चुके थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी सीट थी, उससे उन्हें बेदखल किया गया। प्रश्न इस बात का है कि इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जिनमें रीति-रिवाज़ सब बराबर हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि मल्लाह, धीवर, कहार - ये सब एक ही जाति हैं, इनमें शादी-ब्याह होते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस पर संविधान के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए और

[श्री दिग्विजय सिंह]

इसमें परिवर्तन होना चाहिए। कई जगह मल्लाह, कहार और ढीमर डीनोटिफाइड ट्राइब में भी आते हैं। उस समय वे जातियां, जो कभी जुर्म में शामिल थीं, उन्हें डीनोटिफाइड ट्राइब कर दिया गया था और जब देश आज़ाद हुआ तो उनको फिर से बदला गया। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरे विषय में पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैं माननीय निषाद जी के प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हूं, क्योंकि यह समाज के वातावरण को देखते हुए आवश्यक है। यदि बंजारा जाति को लें, तो बंजारा जाति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति, कर्नाटक में अनुसूचित जाति है, बाकी जगह डिनोटिफाइड ट्राइब है। Renke Commission बना, उसकी रिपोर्ट भी आई, प्रतिवेदन भी आया, लेकिन उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें जिन जातियों का सामना है या पर्यायवाची है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा सके। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, माननीय निषाद जी के इस प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हूं। अभी माननीय चुनीभाई कानजीभाई गोहेल जी बोल रहे थे, उनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको राजनैतिक रंग देने का प्रयास किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं नर्मदा परिक्रमा के समय वहां पूरा घूमा था। अधिकांश ये जातियां - मल्लाह, कहार, धीमर हैं, ये नदियों के किनारे रहते हैं और इनकी हालत अनुसूचित जाति, जनजाति से भी खराब है। इनके पास जमीनें हैं नहीं, हम लोगों ने इनको नदी किनारे तरबूज़, ककड़ी वगैरह पैदा करने की सुविधा दी। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम इन लोगों को पट्टे दे दिया करते थे। दूसरी सरकार आई, तो उसने वह सुविधा भी समाप्त कर दी। आज ये लोग रोज़ी-रोटी से बिल्कुल महरूम हैं। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं और चुनीभाई कानजीभाई गोहेल जी से कहता हूं कि आपकी जात-बिरादरी का मामला है। मोदी जी गुजरात के चीफ़ मिनिस्टर भी रहे हैं और अभी प्रधान मंत्री हैं और अमित शाह जी उनसे बड़े नेता हैं, आप उनसे इसको मंजूर करवाइए, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय राकेश सिन्हा जी।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित)ः माननीय उपसभापति महोदय, विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो संकल्प रखा है, उस संकल्प पर बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम अपनी आलोचनाएं करते हैं, पर कभी-कभी अपनी विशेषताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय समाज की खासियत है कि जो शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं, उनके संबंध में एक आम सहमति रही है। संविधान सभा तो बहुत दूर की बात है, संविधान सभा से पहले भी सहमति रही है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार देने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, राज्य को जो भी व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बारे में, इस समाज में कोई दो राय नहीं है और इस सदन में भी कोई दो राय नहीं है। जो संकल्प रखा गया है, उसके संबंध में मुझे एक बात कहनी है। यह बात rationalisation करने की है। जिस उपजाति को अगर गुजरात में आरक्षण मिल रहा है और उसे राजस्थान में नहीं मिले और जिसे पंजाब में मिल रहा है, उसे असम में नहीं मिले, तो यह जो विसंगति है, उस विसंगति पर एक rationalization करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जो चुनीभाई कानजीभाई गोहेल जी ने आज कहा कि यही बात अगर

सरकारकेसाथमिल-बैठकरकरते,चूंकिछहदशकोंतकयहविसंगतिरहीहै,अच्छाहैकिआजइस विसंगति को इसको इस मुकाम पर लाया गया है, ठीक एक दिन पहले हमने अनुसूचित जाति, जनजाति की सुरक्षा के लिए शोरगुल के माहौल में, जो विधेयक पारित किया, जिस संवेदनशीलता की अपेक्षा मैं विपक्ष से उस मुद्दे पर कर रहा था, वह संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। नारे बाद में भी लग सकते थे, जे.पी.सी. की मांग दो दिन बाद भी हो सकती थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया बैठ जाइए और चर्चा होने दें। राकेश जी आप बोलिए।

श्री राकेश सिन्हाः वह विधेयक आम सहमति से पास हुआ। मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह एक बहुत छोटी-सी बात है और मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि जब एक बात उठी कि इस देश में हमने जाति विहीन समाज का सपना देखा है और यह सपना टूटता जा रहा है... उपसभापति महोदय, समाज तो जाति को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति उसे छोड़ने नहीं देती है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। चाहे विधायिका कितने भी कानून बना ले, लेजिस्लेटिव एक्शन की संख्या जितनी भी बढ़ जाए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नहीं हजार कानून बना लीजिए, यदि सोशल एक्शन नहीं हुआ, सकारात्मक कार्रवाई सामाजिक स्तर पर नहीं हुई, तो समाज बदलने वाला नहीं है। मैं जिस घटना का ज़िक्र करने वाला हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, जब पूरा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर चुनौती दे रहा था, तो महात्मा गांधी ने उस अवसर पर एक निर्णय लिया। दुनिया के इतिहास में ऐसा निर्णय किसी महापुरुष ने नहीं लिया, जो महात्मा गांधी ने लिया। उन्होंने 1933 में यह निर्णय लिया कि मैं "हरिजन यात्रा" निकालूंगा।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, जो हरिजन शब्द है, वह Constitutionally ठीक नहीं है। सर, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री राकेश सिन्हाः आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपसभापतिः यह शब्द देखकर के ही... आप सुन लीजिए।

श्री राकेश सिन्हाः मैं हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं महात्मा गांधी की यात्रा की बात कर रहा हूं। क्या आप उसका नाम बदल देंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः राकेश जी, आप मेरी तरफ देखकर बोलिए। आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

श्री राकेश सिन्हाः सर, महात्मा गांधी ने "हरिजन सेवक संघ" की स्थापना की, "हरिजन सेवक संघ" का अभी भी जो दफ्तर है, क्या आप उसका नाम बदल देंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः राकेश जी, उसके तकनीकी पहलू को छोड़कर अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हाः सर, मैं उसके सामाजिक पक्ष को देख रहा हूं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा का नाम स्वयं महात्मा गांधी ने "हरिजन यात्रा' दिया, "हरिजन अखबार"

[श्री राकेश सिन्हा]

निकाला और "हरिजन सेवक संघ" की स्थापना की। मैं जो बात कहना चाहता हूं, आप उसको समझिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप कृपया शांति बनाए रखिए। राकेश जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ायें।

श्री राकेश सिन्हाः महात्मा गांधी ने दलित यात्रा की, यह आपको स्वीकार है?

श्री उपसभापतिः आप चेयर को देखकर बोलिए।

श्री राकेश सिन्हाः बहुजन समाज यात्रा की, आप जो सुनना चाहें, वह सुन लीजिए।

श्री उपसभापतिः आप इधर चेयर की तरफ देखकर अपनी बात आगे कहें।

श्री राकेश सिन्हाः उन्होंने साढ़े बारह हजार मील की यात्रा की, जो नवम्बर में वर्धा के राम मंदिर से यात्रा शुरू हुई, काशी तक यात्रा गई, उनको कई जगह पर काले झंडे दिखाये गये, सनातनियों ने उनका विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी डटे रहे। उस डटे रहने के कारण देश में एक माहौल बना कि जो लोग पीड़ित हैं, हजारों साल से पीड़ित हैं, उनके लिए समाज को सशक्त बनाने के लिंए और संविधान सभा में उसके कारण एक बड़ा माहौल बना। इसके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि समाज की भूमिका क्या होती है? जब महात्मा गांधी ने आठ लाख रुपया इकट्ठा किया था, तो एक भिखारी ने एक पैसे का दान दिया, जिसे महात्मा गांधी ने 111 रुपये में नीलाम किया था। एक महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले श्री खपाड़े थे, उनकी धर्मपत्नी ने जो मंच पर महात्मा गांधी के पास बैठी हुई थीं, उन्होंने 16 तोले सोने के जेवर उतार कर गांधी जी को दान के रूप में दे दिये थे। मैं यह बात कहना चाहता था कि महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण, डा. हेडगेवार से लेकर आज तक इस विषमता को दूर करने के लिए, जो प्रयास सामाजिक स्तर पर होते रहे हैं, उसमें समाज को एक महत्वपूर्ण पहल करने की आवश्यकता है। जो विडम्बना है, उसको सरकार rationalize करेगी, यदि मल्लाह जाति कहीं आरक्षण में नहीं आती है, तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं हैं। यदि कोई केवट है, कोई निषाद है, कोई कहार है, कोई माली है, उसकी सामाजिक, आर्थिक अवस्था राज्य बदलने से नहीं बदलती है, तो यह बात समाज स्वीकार करता है। कानून की विसंगतियों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें आत्मलोचन करना चाहिए कि छह दशकों तक उनकी निगाह इस बात पर क्यों नहीं गई? क्यों नहीं उन्होंने इस बात को सोचा?

उपसभापति महोदय, मैं दूसरा मुद्दा यह उठाना चाहता हूं और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वह केवल शब्द नहीं है, कम-से-कम अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए संविधान सभा से लेकर आज के दिन तक हम घंटों और दिनों बहस करते रहे हैं, लेकिन इस देश में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं, लोग हैं, जिनका न कोई नाम है, न पता है, न ठिकाना है, न कोई पोस्टल एड्रेस है। देश की 125 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ लोगों का ऐसा होना, जिनके पास एक पोस्टल एड्रेस तक नहीं है, जिनके बच्चों के रोजगार की बात तो दूर, यदि वे आज हरियाणा में हैं, तो सात दिन बाद वे राजस्थान में मिलेंगे। 15 दिन बाद वे महाराष्ट्र में मिलेंगे। ऐसी घुमन्तू जातियों के ऊपर दादा इगाते कमीशन का गठन हुआ था। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि दादा

इगाते कौन हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन घुमन्तू जातियों के लिए बिताया है। आपने शायद उस संगठन का नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि उस संगठन का नाम "भटके विमुक्त विकास परिषद" नाम का एक एनजीओ है। उस एनजीओ ने हजारों और लाखों धुमन्तू जाति के लोगों को बसाने के लिए अथवा पुनर्वास करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाकर, उनके मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया कि आप एक स्थान पर रहें और उन परम्पराओं से अपने आपको मुक्त करें। यह 'विमुक्त' शब्द कैसे आया, आपको मालूम है? मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं। शोलापुर में 100 एकड़ जमीन को कंटीले तारों से घेर दिया गया। वह ओपन प्रिज़न था। वे उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। इन्हीं को एक समय क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। आज सदन एक मत से इस बात को माने कि दादा इगाते आयोग की रिकमंडेशन को सरकार स्वीकार करे, एक स्थायी आयोग का निर्माण करे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, नहीं तो यह भारतीय समाज पर, भारतीय राज्य पर बड़े कलंक की तरह होगा।

उपसभापति महोदय, मैं दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वास्तव में आज जो समस्या है, हम राजनीति में अच्छे सुरों में बोलते हैं, अच्छे स्वरों में बोलते हैं कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना की जाए। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर डा. राम मनोहर लोहिया जी तक, महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर से होते हुए जय प्रकाश बाबू तक और वर्तमान पीढ़ी में जो हाल की पीढ़ी के लोग थे, चन्द्रशेखर जी हों या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अब जाति विहीन समाज का सपना टूटा कैसे? इसका कारण है कि राजनीति, सामाजिक सरोकारों से अपने आपको मुक्त कर चुकी है। राजनीति एक स्वायत्त बन गई है कि सामाजिक काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हो गए और राजनीति का काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए। कल तक यह दिखाई नहीं पड़ता था कि राजनीतिक कार्यकर्ता कौन है और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है। दोनों के बीच में विसंगतियां नहीं थीं। दोनों की कोई स्वायत्तता नहीं थी। जो कल बेलछी जाता था, वही चुनाव अभियान में भी जाता था। जो चम्बल जाता था, वही नई दिल्ली में आकर पं. जवाहरलाल नेहरू से वार्ता भी करता था। सोशलिस्ट हो या जनसंघ था, हम जाति भेद के सपने को लेकर चले थे, उसके लिए तीन बातों को करने की आवश्यकता है।

उपसभापति जी, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि हम चाहे चुनाव हार जाएं, लेकिन जाति का सहारा नहीं लेंगे? मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मैं उस घटना का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वह घटना जनसंघ के एक नेता से जुड़ी है। पं. दीनदयाल उपाध्याय और सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया जी के बीच में कोई बुनियादी अन्तर नहीं रह गया था, इस बात को हमारे समाजवादी मित्र जानते हैं। जैसे चन्द्रशेखर जी और नानाजी देशमुख जी के बीच में, एक समय में कोई बुनियादी अन्तर नहीं रह गया था। उस समय वर्ष 1963 में तीन उप चुनाव थे। इस घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार कांग्रेस को उप चुनाव में चुनौती दी गई थी। मीनू मसानी चुनाव लड़ रहे थे, आचार्य कृपलानी अमरोहा से चुनाव लड़ रहे थे, पं. दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे और डा. राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। नेहरू जी की prestige का सवाल था। इन तीनों चुनावों में कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन तीनों जगह विपक्ष जीत गया। जिस जगह कांग्रेस की हार सुनिश्चित थी, वहां जौनपुर में कांग्रेस जीत गई। इसका कारण था, पं. दीन दयाल

[श्री राकेश सिन्हा]

उपाध्याय जौनपुर के चुनाव में गए, क्योंकि अपने ही कार्यकर्ताओं के अनुरोध के बावजूद उन्होंने जाति का सहारा नहीं लिया, बल्कि जातिवाद की निंदा की। वर्ष 1963 के भारत में, जिसमें कंज़र्वेटिव ताकतें, कथित रूप से ऊंची जाति की ताकतों ने समाज को पिंजरा बन्द करके रखा था, उन कंज़र्वेटिव ताकतों ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के इस प्रगतिशील नारे को स्वीकार नहीं किया और पं. दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ, देश को संदेश दे दो कि दीनदयाल हार गया, जनसंघ जीत गई।

महोदय, आज हममें से कोई अपने दिल पर हाथ रख कर कह दे कि मैं जाति का सहारा नहीं लेकर चुनाव के मैदान में जाऊंगा और चुनाव जीत कर आऊंगा। भारतीय समाज ने 1977 में जाति नहीं देख कर लोगों को संसद में भेजा था। बिहार में 54 की 54 सीटें और उत्तर प्रदेश में 85 की 85 सीटें जनता पार्टी की आई थीं, तो मतदाताओं ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। 1989 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का आंदोलन हुआ, जन मोर्चा बना, तो किसी ने जाति नहीं पूछी, 2014 में जब एक भगवा बयार आई तो किसी ने जाति नहीं पूछी। यदि आपकी पात्रता होगी, तो समाज उस पात्रता को सलाम करेगा, लेकिन जब आप जातिवाद करेंगे, तो समाज विभिन्न जातियों में बंटकर आपको उसी रूप में देखेगा।

सभापति जी, मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि हम सरकार के साथ इसको rationalise करने पर विचार करें। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सामाजिक सरोकारों पर हम विभक्त न हों, देश को इसका संदेश नहीं जाए।

उपसभापति महोदय, जो लोग हज़ारों सालों से सताए गए हैं, वे सिर्फ पिछड़े नहीं हैं, उन्हें जाति के नाम पर सताया गया है। आज भी कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों को एक खास क्षेत्र के बाद प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश में या डी. राजा जी जिस प्रांत से आते हैं, तमिलनाडु में, आप वहां देख सकते हैं।

उपसभापति जी, मुझे वामपंथी ताकतों से उम्मीद थी कि वे कुछ सामाजिक सरोकारों के साथ काम करेंगे, लेकिन सत्ता के गलियारों में गठबंधनों में घूमते-घूमते वे वामपंथी पार्टियां जातिवादी पार्टियां बनकर रह जाती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी वामपंथी पार्टी पर यूं ही आक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप फलें-फूलें, लेकिन फलने-फूलने के लिए, जब इस देश में जाति reality थी, तो ये class की बात करते थे, जब class रियेलिटी हो रही है, तो ये जाति की बात कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, इसलिए मैं दो बातें कहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति जी, जब नवउदारवाद आ गया है, जब देश में classes बंद हैं, जब विषमताएं बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में विषमता बढ़ रही है, रोज़ रिपोर्ट आ रही है कि 2 परसेंट लोगों के पास 74 परसेंट धन है, संसाधन हैं, तब तो class भी विभक्त हो रही है। अब वामपंथी पार्टियां जाति-जाति कर रही हैं। आज तो आप class-class कीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में बंटने की जगह, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की जगह मिलकर चलें।

महोदय, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। हमारे पास जयप्रकाश बाबू की विरासत है, विनोबा भावे की विरासत है, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत है। बार-बार बाबा साहेब अम्बेडकर को उद्धृत करने से बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र को अपनाने से हमारा सपना पूरा होगा। कुछ लोग ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया बार-बार टीका-टिप्पणी नहीं कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री राकेश सिन्हाः आप कृपया एक मिनट सुन लीजिए। मैं जिस आदर्श पर चलता हूं - यदि मैं डा. हेडगेवार के आदर्श पर चलता हूं और सुबह-शाम डा. हेडगेवार जी की मूर्ति की पूजा करूंगा, तो शायद डा. हेडगेवार का सपना पूरा नहीं होगा, परंतु यदि मैं डा. हेडगेवार के सामाजिक सरोकारों को स्वीकार करूंगा, तो डा. हेडगेवार का सपना पूरा होगा। इसलिए मैं यह कहता हूं कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर को, डा. हेडगेवार को, दीनदयाल जी को, जयप्रकाश बाबू को राजनीतिक बाजार में सौदे की तरह व्यवहार न करें। यदि हम सब सचमुच समाज का विकास होना, जातिविहीन समाज का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो समाज में जाकर, राजनीति में जाकर उस पुरुषार्थ को दिखाएं कि आओ, मैं बिना धन-बल के, बिना जाति वर्ग के इस समाज का नेतृत्व करूंगा, मैं हारकर भी जीतूंगा और तुम जीतकर भी हारोगे। इस सपने के साथ हम चले थे और इसी सपने के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आइए, मिलिए, बैठिए, पर सामाजिक सरोकारों पर अपने आपको मत बांटिए।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री जयराम रमेश जी।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I am not speaking.

श्री उपसभापतिः यहाँ आपका नाम है।

श्री जयराम रमेशः वह तिरुचि शिवा के Resolution पर है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, at the outset, I support the Resolution and I congratulate my neighbour and colleague, Mr. Nishad for bringing this issue for the consideration of the entire House and the Government. Sir, I have been looking at this issue for quite some time and I have come across many cases. The people who belong to SC community in Haryana, when they move to Delhi, they are not treated as SC. In the same way, the people who belong to the SC community in Tamil Nadu, if they move to Maharashtra, Mumbai, they are not treated as SC communities. Similar examples can be given. There is a need for having a mechanism to have uniformity and common approach to this problem. I agree that there should be a permanent mechanism. Having said that, why does this problem continue? Reservation is one of the affirmative measures proposed and directed to the Government. Sir, reservation is an affirmative action, and it is not the final solution to the problems, and as Communists, we never said that it is going to be the final solution. But, in the transitory period, we want to build a new India, free from castes, free from classes, and we want to build a new society, a casteless society, a classless

[Shri D. Raja]
society. But, in the transitory period, we need to take affirmative measures in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and all weaker sections. This is part of our struggle for social justice, and social justice is confronting many challenges today. I have been raising this issue on several occasions. Sir, I am from Tamil Nadu, for that matter, and I have Tamil ethos, whether you will accept them as Indian ethos or not, I can't say. But, I have Tamil ethos. Thiruvalluvar, a philosopher, a great poet, produced by Tamil land, and it was Thiruvalluvar who said:

†"Pirappokkum Ella Vyirkum"

"Birth is common to all creatures, all human beings, and how come some people are called upper castes, some people are called lower castes. Who created *chaturvarna?* Who created this caste system? Who created this *Manu Dharma?* Who is Manu? And what is this *Manu Shastra, Manu Smriti?* I am questioning all those things. Who created all 'those things? And now, you come and say, Communists are also using castes. No, not at all. I question the *Manu Smriti.* Who brought this *Manu Samritil* Who codified the caste system in India? Somebody. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः माननीय डी. राजा जी, आपका समय खत्म हो गया है, आप कृपया conclude करें।

SHRI D. RAJA: This is a serious issue. This is where I want to tell you what Thiruvalluvar said. He said:

†"Pirappokkum Ella Vyirkum"

Birth is common to all, same. We come from mothers' womb, and how can we differentiate that one womb is superior, and the other womb is inferior? This is number one concept.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI D. RAJA: I am concluding. The same Thiruvalluvar had said:

† "Paguchundu Palluyir Ombal"

Whatever the wealth we create, we should distribute the share among ourselves equally. This is what Karl Marx said, and I do not find any difference between Thiruvalluvar and Karl Marx. Thiruvalluvar said it long back and Karl Marx said it in the contemporary age. I moved to Karl Marx; I moved to Communism from my Tamil ethos. From my

†Transliteration of the quotation given in Tamil.

Thiruvalluvar, I moved to Karl Marx. I stand with Karl Marx, and we are for casteless society.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: That is why I support this Bill, with all seriousness. Thank you very much.

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी के प्रस्ताव के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत)ः उपसभापति महोदय, माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद साहब ने यह संकल्प रखा है। इस आशय की चर्चा उन्होंने इसी सदन में पहले भी कई बार की है। विचार-विमर्श के बाद मैंने इस संबंध में जो नियम-प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रावधान के दायरे में जो कानून-कायदे बने हुए हैं, उन सबकी जानकारी उनके संकल्प पर या उनके प्राइवेट मेम्बर बिल पर विचार-विमर्श के दौरान दी है। मैं फिर से उन कुछ मुद्दों को संक्षेप में दोहराने की आवश्यकता महसूस करता हूं और जो-जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ कह कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। इन्होंने बहुत सारी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने का उल्लेख किया है। अनुसूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण उन जातियों को जो-जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसके बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया है, साथ ही पिछड़ी जातियों के बारे में भी उल्लेख किया है। इसके लिए जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के दायरे में जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में भी इन्होंने अपनी बात कही है।

उपसभापति महोदय, किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाना हो या अनुसूचित जाति की सूची से अलग करना हो, तो उसकी एक निर्धारित नियम-प्रकिया बनी हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के नाम लिस्टेड हैं और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के नाम लिस्टेड हैं। उन जातियों का उल्लेख अनुच्छेद 366 में 23, 24 और 25 नम्बर पर भी है, जिनमें इन जातियों के बारे में उल्लेख किया गया है और इन जातियों के नामों को घटाने या बढ़ाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। ये नियम आज से नहीं बने हैं, 1950 में जब अनुसूचित जातियों के नाम लिस्टेड हुए थे, उसी समय से ये नियम भी लागू हैं। समय-समय पर इसमें छोटे-मोटे संशोधन होते रहे, 1955 में कुछ और जातियों के नाम भी इसमें जोड़े गए। जब उन जातियों के नाम लिस्टेड हो जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भारत के महापंजीयक के पास होता है। जब भी किसी राज्य से किसी जाति को जोड़ने या घटाने संबंधी कोई प्रस्ताव आता है, तो मंत्रालय की ओर से हम उसे RGI को प्रेषित कर देते हैं और उस पर उनकी राय मांगते हैं। अगर RGI सहमति दे देता है, तो हम उसे संबंधित आयोग के पास भेज देते हैं। मान लीजिए किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने का प्रस्ताव है, तो हम उसे अनुसूचित जाति आयोग के पास भेजते हैं और अगर उसे अनुसूचित जनजाति में मिलाने का प्रस्ताव है, तो हम उसे अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था ओबीसी आयोग में भी है, जो 1993 में बना था। अगर कोई राज्य किसी जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के लिए

[श्री थावर चन्द गहलोत]

प्रस्ताव भेजता है, तो उसमें आरजीआई को भेजने का प्रावधान नहीं था, वह सीधे-सीधे आयोग के पास जाती थी और जब आयोग उस पर अपनी रिपोर्ट दे देता था, तो वह सरकार के लिए बंधनकारी हो जाता था। इसमें जो दिक्कत आती है, वह यह है कि अगर आरजीआई ने अपनी सहमति दे दी, तो फिर वह आयोग में भी जाता है और जब आरजीआई एवं आयोग सहमति दे देते हैं, तो फिर सरकार उस पर विधेयक तैयार करती है। इसके बाद उस विधेयक को कैबिनेट के समक्ष लेकर जाया जाता है, कैबिनेट स्वीकृति देकर उसे संसद में प्रस्तुत करती है और फिर संसद उस पर अंतिम निर्णय लेती है। यह पूरी प्रक्रिया है। श्री विशम्भर प्रसाद जी ने जिन-जिन जातियों का उल्लेख किया है, वे इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक बार नहीं, अनेक बार आरजीआई के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं और आरजीआई की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित आयोग ने भी उस पर अपनी असहमति व्यक्त कर दी है। इस कारण से हम इन जातियों को जोड़ने या घटाने का काम नहीं कर सकते हैं।

महोदय, यह बात अपने आप में सही है और मैं स्वयं भी यह अनुभव करता हूं कि कई बार grammatical mistakes के कारण भी उस जाति को अनुसूचित नहीं माना जाता है। जाति वही है, परन्तु हिन्दी और इंग्लिश में अगर spelling का कुछ अंतर है, तो संबंधित अधिकारी सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। ...**(व्यवधान)**... जी हां, यह बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ...**(व्यवधान)**... लेकिन उस grammatical सुधार के लिए अथवा मात्रा के सुधार के लिए भी संबंधित राज्य सरकार ही प्रस्ताव करती है। ...**(व्यवधान)**... जब राज्य सरकार इसके लिए प्रस्ताव करती है, तो उसके बाद हमें यही प्रक्रिया अपनानी होती है, जो मैंने अभी-अभी बताई है। उसी प्रक्रिया के माध्यम से हम इसका अनुपालन करने की स्थिति में होते हैं। अब जो-जो जातियां इन्होंने बताई हैं, उनके साथ यही समस्या हुई है। हम उनको अनुसूची में शामिल नहीं कर सके, परन्तु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन चार-साढ़े चार वर्षों में लगभग 11 राज्यों से हमारे पास प्रस्ताव आए थे और इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए हमने लगभग 24 जातियों को इस अनुसूची में सम्मिलित करने का काम किया है। इनमें दो नई जातियां भी जुड़ी हैं। 22 समानान्तर पर्यायवाची नाम हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 24 जातियां हैं। राज्य की मांग के अनुसार हमने 6 जातियों को निकाला भी है और एक जाति को विलोपित भी किया है। वह सिक्किम की थी। यह मेरे पास जानकारी भी है और आंकड़े भी हैं। इसी आशय की एक जानकारी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी रखी है। मैं उनको उस सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य में यह समस्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। यह समस्या मेरे मध्य प्रदेश में भी है। वहां प्रजापति जाति 3 जिलों में तो SC में है और बाकी में OBC में है। ...**(व्यवधान)**... हाँ, धोबी भी है, जायसवाल भी है। ऐसे ही हर राज्य में है। अलग-अलग जिलों में एक ही नाम की जाति अलग-अलग श्रेणी में है और उसका जो हमने प्रारम्भिक अध्ययन किया और मेरे ध्यान में आया है, वह यह है कि जब इन जातियों के अनुसूचित जाति या जनजाति में समावेशन की कार्यवाही चल रही थी, उस समय विचार-विमर्श किया और उन्होंने मौके पर जाकर देख-रेख की होगी, जाँच-पड़ताल की होगी, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वे ठीक स्थिति में थे, यहाँ कमज़ोर स्थिति में थे, वहां कुछ और थे, इस आधार को लेकर उन्होंने इन जातियों का समावेशन कर दिया था। अब उसको घटाने-बढ़ाने की दृष्टि से जो कानून-कायदे बने हैं, वे संसद ने ही बनाये हैं और संसद ने जो कानून बनाये हैं, उनका अनुपालन पिछली सरकारें भी करती रहीं और हम भी कर रहे हैं।

श्रीमान्, एक निवेदन है। आपने एक जो विषय रखा, तो मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में माझी के पर्याय के रूप में धीमर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह और निषाद समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। RGI ने सहमति नहीं दी। 2012 में यहां से...

प्रो. राम गोपाल यादवः RGI आपसे बड़ा है या संसद से बड़ा है? आप स्वयं जानते हैं कि ये सब एक ही जातियां हैं। ये जातियां ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः ये कह रहे हैं कि यह 2012 में रिजेक्ट हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादवः यह सब जानते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादवः इसीलिए इस रिज़ॉल्यूशन को यहां से पास कीजिए, ताकि आप compulsorily ये सब चीज़ें ठीक करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय उपसभापति महोदय ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय उपसभापति महोदय ...**(व्यवधान)**... मैं केवल यह बता रहा हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मंत्री जी yield नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... कृपया मंत्री जी को अपनी बात कहने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः महोदय, आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि क्या RGI सरकार से बड़ा है? तो मेरा सीधा-सीधा निवेदन है कि सरकार ने जो नियम, कानून-कायदे बनाये हैं और संवैधानिक प्रावधान किये हैं, उनका अनुपालन करने के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया है। अनुपालन करवाना, जो नियम, कानून-कायदे बने हैं, उनके अनुसार ही हमारी ड्यूटी है और उसी का पालन हम कर रहे हैं। संसद में अगर कभी यह हो जाएगा कि जब चाहे, तब जाति को घटाने-बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है, तो हम उस समय विचार करेंगे, परन्तु आज तो जो नियम, कानून-कायदे हैं, उनका अनुपालन हम कर रहे हैं और उसके दायरे में अगर वे सहमति या असहमति देते हैं, तो उसके अनुसार ही आगे कार्यवाही करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

ऐसे अनेक प्रस्ताव हैं, जो पिछली सरकारों के समय भी अस्वीकृत हुए हैं। मेरे पास तो आंकड़े और उदाहरण सहित सब जानकारी है। अगर मैं यह कहूं कि उस समय क्यों निरस्त हो गये, उस समय सहमति क्यों नहीं हुई? अगर आज हमारे टाइम पर हम उसी कानून-कायदे का पालन करते हुए अस्वीकृति देते हैं, तो आप कहते हैं कि आप इनके विरोधी हैं, आप यह नहीं करना चाहते हैं, आप वह नहीं करना चाहते हैं। ये कानून, कायदे 1950 से लेकर समय-समय पर जो बने हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। हम इन सब वर्गों के हित संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, परन्तु एकाध बार

4.00 P.M.

[श्री थावर चन्द गहलोत]

सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया, एकाध बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो संसदीय समिति है, उसने भी प्रतिवेदन दिया है और इन सब प्रतिवेदनों में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये जो नियम, कानून-कायदे बने हैं, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए फैसले हुए हैं, निर्णय हुए हैं। मैं उदाहरण सहित सारी जानकारी सदन में दे सकता हूं, सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, परन्तु इतना समय आप मुझे दें, तभी मैं वे आंकड़े यहां प्रस्तुत कर सकता हूं।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 1967 में बना था। उस समय संयुक्त संसदीय समिति ने भी इस पहलू की जांच की थी। उस समय भी, जो आज प्रावधान हैं, उन्हीं के अनुसार काम करने के लिए तत्कालीन संयुक्त संसदीय समिति ने भी निर्देश दिए थे। जो संयुक्त संसदय बनी, ...**(व्यवधान)**... मैं सारा ब्यौरा क्रम से बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकालकर देख सकते हैं। उसी के अनुसार आगे भी हम कार्यवाही कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... इसी प्रकार माननीय उच्चतमन न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्राज्यीय प्रवासियों की प्रवासी राज्य में स्थिति के संबंध में - मेरी चन्द्रशेखर राव बनाम दिनशॉ जी.एस Medical College तथा अन्य मामले में 1990 में एक निर्णय दिया था। इसी आधार पर, कार्यसमिति बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1994 में एक निर्णय आया। एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी जाति की सामाजिक स्थिति भिन्न होती है। इसलिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि समूचे देश में किसी जाति अथवा जनजाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए। ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं, अनेक उदाहरण हैं, जिनके कारण, जैसा यहां विशम्भर प्रसाद जी चाहते हैं, हम वैसा करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर संबंधित राज्य सरकार ...**(व्यवधान)**...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): नहीं, नहीं, आप बाद में पूछ लीजिए। पहले मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः पहले मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, आप मुझे संबोधित करते हुए अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः यहां नियम, कानून और कायदे के दायरे में ही जवाब दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... हम तो अभी चार-साढ़े चार साल से सरकार में हैं। इससे पहले जिनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, इन बातों पर भी आप विचार करें। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में यहां चर्चा उठी। प्रमाण पत्र के विषय को लेकर माननीय उच्च्तम न्यायालय का 1950 का एक निर्णय आया, जिसका अनुपालन सारे देश में किया जा रहा है। फिर भी भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने उसके लिए अलग तौर-तरीके निकाले और उन तौर-तरीकों के आधार पर जो listed जातियां हैं, उस वर्ग का कोई व्यक्ति अगर प्रमाण पत्र लेना चाहे, तो प्राप्त कर सकता है, यदि उसके पास पूर्वजों का प्रमाण पत्र हो, सम्पत्ति का प्रमाण पत्र हो, कृषि की ऋण-पूर्ति का प्रमाण पत्र हो, बिजली का बिल हो, यदि कुछ भी न हो, तो एक अधिकारी को जांच-

पड़ताल के लिए भेजा जाएगा, जो उसके आस-पड़ोस में जाकर पूछताछ करेगा और यदि उसकी पुष्टि हो जाती है कि वह व्यक्ति उसी वर्ग का है, उस वर्ग की यदि कोई रजिस्टर्ड समिति है, उस समिति का अध्यक्ष या सचिव अगर कह दे कि वह उस जाति का व्यक्ति है, तो उसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था है। प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मैं एक जानकारी यहां और देना चाहता हूं कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 115 जिलों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें जाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी निर्देशित किया था। अभी मई महीने से पहले तक 1 लाख प्रमाण पत्र देने का काम हमने किया है। अब सारे देश में एक-जैसा आरक्षण इन जातियों को देने की व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि जातियां ही राज्य में समान रूप से मान्य नहीं हैं। इसलिए वैसा करना सम्भव नहीं है। मेरी जाति पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगर मैं वहां जाता हूं और वहां की सूची में मेरी जाति का नाम नहीं है तो मुझे वहां प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, कोई लाभ भी नहीं मिलेगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने ऐसी बहुत सी जानकारियां दी हैं - जिनमें कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से और कोई राजस्थान से दिल्ली में आया है और दिल्ली में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मांग रहा है। अगर दिल्ली की सूची में उसकी जाति शामिल नहीं है, तो प्रमाण पत्र उसे नहीं मिल पाएगा। इस समस्या को हल करने का वर्तमान कानून के दायरे में तो हमारे पास अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से अगर एक राज्य से दो राज्य गठित हो गए, तो उसमें भी यह प्रावधान है, कोर्ट का भी निर्णय है कि अगर वह हिस्सा, जो इस राज्य में था इस तारीख तक, कहने का मतलब है कि गठन की तारीख तक, अगर उसमें वह जाति सम्मिलित थी, तो वह वहां पर उस जाति का प्रमाण पत्र बना लेगा और अगर वह व्यक्ति कहीं और चला जाए, दूसरे राज्य में चला जाए और उस राज्य में वह जाति अनुसूचित नहीं है, तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। ऐसे पर्यायवाची नामों के संबंध में भी है। यहां पर प्रमोशन वगैरह की बात आई, हम इसके बारे में एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कह चुके हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था के भी हम पक्षधर हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया था, उस पर हमने रिव्यू पिटीशन लगाई और कोर्ट से आग्रह किया और मुझे खुशी है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है तथा प्रमोशन में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, वह डीओपीटी के आदेश से फिर से लागू हो गए और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है।

जहां तक निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का विषय है, उस संबंध में मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 2002 में प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है। वह समिति समय-समय पर विचार-विमर्श करती है, प्राइवेट संस्थानों से, उद्योगपतियों से बैठकें करती हैं, वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वातावरण अनुकूल नहीं बना है। वह समिति इस पर विचार कर रही है। जिस दिन वातावरण अनुकूल बनेगा, निश्चित रूप से हम उस पर भी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।

इसमें धुमंतू जाति के बारे में उल्लेख किया है। अब मुझे यह कहते हुए खुशी है कि नरेन्द्र मोदी जी ने घुमंतू आयोग का गठन किया। कल भी विषय आया था, तो आपने कहा कि आप नरेन्द्र मोदी क्यों बोल रहे हैं? माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने घुमंतू आयोग का गठन किया और उस आयोग ने तीन साल की समयावधि में देश भर में सुदूर घूम करके घुमंतू जाति के लोगों के साथ विचार-विमर्श

[श्री थावर चन्द गहलोत]

किया और राज्यों की सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया तथा प्रतिवेदन दिया है। हमने उस प्रतिवेदन को राज्य सरकारों की राय के लिए प्रसारित किया है, भारत सरकार के मंत्रालयों को भी प्रसारित किया है। राय आएगी और मैं आश्वस्त करता हूं कि राय आने के बाद हम उस प्रतिवेदन पर सकारात्मक कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपसभापतिः आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं या आपको और समय चाहिए?

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब बैकलॉग की भी बात आई है। इस संबंध में डीओपीटी ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है, उसमें जानकारी आई है, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पढ़ी होगी। यह मैं डीओपीटी के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे पास इसका documentary proof भी है। इसके अनुसार 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के 17.49 प्रतिशत पद भरे हुए हैं, जिनको 15 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, एसटी के 8.47 परसेंट पद भरे हुए हैं, ओबीसी के 21.58 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। ओबीसी में अभी रिक्तियां हैं और उसकी भी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। चूंकि यह निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए सरकार इस पर कार्रवाई करती रहती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंहः माननीय मंत्री जी, आप क्लास-I और क्लास-II में देख लीजिए, वहां क्या स्थिति है? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, मैं आपके माध्यम से बिशम्भर प्रसाद निषाद जी को, माननीय सदन और सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इन वर्गों के हितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, यशस्वी कार्रवाई कर रही है। आप सरकार पर विश्वास करें, क्योंकि हम इन वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं और सकारात्मक कार्रवाई करते रहेंगे, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंहः माननीय मंत्री जी, आप क्लास-I और क्लास-II में देख लीजिए, वहां आरक्षण पूरा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी, क्या आप मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं और अपना संकल्प वापस ले रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I want to make a small intervention. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak first. ...*(Interruptions)*...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय उपसभापति जी, मैं आपको बधाई देता हूं, साथ ही अपने संकल्प पर बल देता हूं। हमारे माननीय सदस्यों वीर सिंह जी, प्रदीप टम्टा जी, चुनीभाई गोहेल जी, आदरणीय मनोज झा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राकेश सिन्हा जी और डी. राजा

जी ने इस संकल्प पर अपने-अपने विचार रखे और सभी लोगों ने, एक तरह से पूरे सदन ने और सभी पार्टियों से मिलकर यह मत हुआ कि वास्तव में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जातियां हैं, जो बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली जाते हैं...

श्री उपसभापतिः आपने अपनी पूरी बात कह दी है। अब आप इस resolution के बारे में बताएं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, मैं वही कहने जा रहा हूं। इसमें सभी सदस्यों ने सहमति जाहिर की है, लेकिन माननीय मंत्री जी RGI का हवाला दे रहे हैं कि RGI विरोध कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव भेजा था, श्री अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव भेजा था।

श्री उपसभापतिः कृपया आप पुनः बहस में न जाएं। आप यह बताएं कि resolution के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय उपसभापति जी, मैं अपने इस संकल्प पर बल देते हुए, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसको पास कराइए, यह जनहित में है। इस पर पूरे देश के लोग आपसे और सदन से आशान्वित हैं और वे चाहते हैं कि यह संकल्प पास हो, जिससे पूरे देश में इन जातियों को समान सुविधाएं मिलें और जो समनामी पुकारू जातियां हैं, जो वंचित रह गई हैं, उनको लाभ मिले। मैं सदन से और आपसे गुज़ारिश करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए। मैं इस पर बल देता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप एक मिनट रुकिए, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो बातें कही हैं कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, परंतु जब उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास RGI ने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, उसके बाद हमने फिर से राय मांगी थी, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही इसको withdraw भी कर लिया था। ये जो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, वे इसी आशय के कारण हैं। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I want to make a small intervention. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः क्या आप चाहतें हैं कि resolution वोट के लिए जाए? आप इसे withdraw कर रहे हैं या वोटिंग के लिए भेजना चाहते हैं?

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मैं इसे withdraw नहीं कर रहा हूं। मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और चाहता हूं कि वोटिंग कराई जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Resolution to vote. The question is:

[Mr. Deputy Chairman]

"Having regard to the fact that:-

(i) the people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Denotified Castes are deprived of facilities and concessions and are being neglected because of the lack of a uniform reservation system in the whole country;

(ii) the people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Denotified Castes are facing certain problems, and particularly the people belonging to the fishermen community in many states of the country have to face the difficulties as they migrate to other States in search of employment due to lack of employment opportunities and settle there permanently due to which they are rendered ineligible for availing reservation benefits as they are issued requisite certificate by the State from where they have migrated;

(iii) in the States of Andhra Pradesh, Telangana, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tripura, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal, and NCT of Delhi, the people belonging to fishermen community have been placed in the categories of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Denotified Castes and some of their castes having names that are synonymous and homonymous, whose food habits, customs and traditions and lifestyle are identical, have been deprived of reservation;

(iv) as per the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, in the list of Scheduled Castes with respect to the State of Uttar Pradesh, the caste of 'Beldar' is included at Sl. No. 18, but a sub caste having similar name 'Bind ' has been excluded and at Sl. No. 36 the caste 'Gond' has been included, yet the castes 'Godiya', 'Kahar', 'Kashyap', 'Batham','Raikwar', 'Dhuriya' have been excluded, at Sl. No. 53, the caste 'Majhwar' has been included but the castes 'Mallah', 'Kevat', 'Manjhi', 'Nishad' have been excluded, at Sl. No. 66, the caste Turaiha' has been included, but the castes Turha'. 'Dhivar' and 'Dhimar' have been excluded, at Sl. No. 65 'Shilpkar' Caste has been included, but the castes 'Kumhar', 'Prajapati' have been excluded, at Sl. No. 59 the Castes 'Pasi' and Tarmali' have been included, but the castes 'Bhar', 'Rajbhar' have been excluded, thus the synonymous sub-castes have been deprived of the facilities of reservation;

(v) under the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 issued by the Government of India, and in the Schedule -VIII of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, the caste of 'Manjhi' has been notified at Sl. No. 29 and the caste of 'Majhwar' have been notified at Sl. No. 30 as Scheduled Tribes throughout the State of Madhya Pradesh but the sub castes like Dhimar, Dhiwar, Kevat, Kahar, Mallah, Nishad, which are homonymous and synonymous to 'Manjhi' and 'Majhwar' have been left out due to which these sub castes are deprived of the facilities of reservation;

(vi) in the NCT of Delhi the caste 'Mallah' has been entered in the list of Scheduled Castes, whereas the castes 'Kevat', 'Dhimar', 'Dhivar', 'Kahar', 'Kashyap', 'Nishad', 'Turha' and 'Manjhi', which are synonymous and homonymous to 'Mallah' have been excluded, due to which these sub-castes are deprived of the facilities of reservation;

(vii) in the State of Bihar, the castes of 'Mallah', 'Dhivar', 'Dhimar'. 'Kevat', 'Kahar',' Khairwar', Tiyar', 'Manjhi', 'Khago', 'Bind', 'Nai', 'Rajbhar' and 'Dhanuk' have not been included in the list of Scheduled Castes in respect of which the State Government had sent a proposal to the Centre;

(viii) in the State of Maharashtra, the caste 'Koli' is included in the list of Scheduled Castes, but its synonymous sub castes like 'Bhoi', 'Dhivar', 'Mahadev Koli', 'Kevat', 'Nishad', 'Mallah', 'Keer', 'Kirat', 'Gond', 'Kahar' 'Godiya Kahar', 'Pardesibhai', 'Rajbhoi', 'Dhimar', 'Koli', 'Dor', 'Malhaar', 'Koli', 'Dhangar Koli', 'Koine', 'Kolga Tokre', have been excluded from the list of Scheduled Castes;

(ix) in Andhra Pradesh, 'Bestha', 'Besthar', 'Gangaputra', Gangavar Jalan", 'Pattapa', 'Pali',' Banne Reddy', 'Pale Reddy' etc, have been excluded from the list of Scheduled Castes, and

(x) in Gujarat, 'Bhoi' Caste is included in Scheduled Castes but its synonymous sub castes like 'Dhinvar', 'Mahadev Koli', 'Mallah Keer',' 'Kirat', 'Gond', 'Kahar Godiya', 'Kahar, 'Pardesibhai', 'Rajbhoi', 'Dhimar', 'Koli', 'Malhar', 'Dhuriya Kahar', 'Godiya Kahar', 'Kolcha' have been excluded from the list of Scheduled Castes.

this House urges upon the Government to:—

(a) provide uniform facilities, by amending the articles 341 and 342 of the Constitution to include the homonymous and synonymous sub-castes of

[Mr. Deputy Chairman]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to the castes registered State-wise in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 in all the States, and

(b) amend the Constitution so that the persons belonging to SC/ST category in one State may be treated as the person of that SC/ST category all over the country to get the benefit of the reservation."

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, मैं division चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

SOME HON. MEMBERS: We also want division, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, division. Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, अपनी बात कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः उपसभापति महोदय, मैं एक और बार निवेदन करना चाहता हूं। हम उनकी सोच और spirit से सहमत हैं, परंतु वहां की राज्य सरकार ने एक बार रिकमंड करके प्रस्ताव भेजा, दूसरी बार withdraw कर लिया, फिर यह कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां जब-जब जैसा चुनावी वातावरण बना, तब-तब इसे भेजने का और वापिस लेने का काम चला है। अब मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में वे वोट पर ज़ोर न दें। मेरा ऐसा अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि वे इसे मानेंगे। ...**(व्यवधान)**...

PROF. RAM GOPAL YADAV: Sir, you have already said that the lobbies be cleared. अब यह division करवा दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)ः माननीय उपसभापति जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि इस सदन का मैं कुछ वर्षों से मेम्बर हूं। सामान्यतः शुक्रवार को रिज़ॉल्यूशन पर डिवीज़न नहीं होता है। या तो आप अपनी बात कहिए, आप इसको विदड्रॉ करते हैं, सरकार आपकी भावनाओं से सहमत होती है, क्योंकि जो प्राइवेट मेम्बर बिल आता है, उससे आप सदन को अपनी बात से अवगत कराते हैं और विषय के बारे में कहते हैं। आप डिवीज़न ...**(व्यवधान)**... मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...सर, मैं आपसे कहूंगा कि यह एक नई परम्परा डाली जा रही है। ...**(व्यवधान)**... आप मालूम कर लें, यह एक नई परम्परा डाली जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादवः इसी सदन में श्री तिरुची शिवा का ट्रांसजेंडर से संबंधित रिज़ॉल्यूशन पास किया है और आप कहते हैं कि वोटिंग नहीं होगी! ...**(व्यवधान)**... It is wrong. It is absolutely wrong.

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, वह ट्रांसजेंडर बिल था, संकल्प नहीं था। यह संकल्प है और वह विधेयक था। विधेयक पर तो वोटिंग होती ही है। मैं भी वर्ष 2012 से इस सदन में हूं, संकल्प पर कभी वोटिंग नहीं हुई।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बताना चाहता हूं कि संकल्प पर वोटिंग नहीं हुई, बिल पर वोटिंग हुई है। ...**(व्यवधान)**... ट्रांसजेंडर वाला तो विधेयक था, बिल था विधेयक पर वोटिंग जरूर होती है, लेकिन यह तो रिज़ॉल्यूशन है, सर। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: ऐसा है कि जब मेम्बर्स ने प्रस्ताव नहीं किया है...

श्री उपसभापति: नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके तहत एक बार वोटिंग के लिए कहने के बाद उसे रोका जा सके। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि हम आपका आदेश तो मानेंगे, परन्तु आपको जो जानकारी दे दी गई और उसके आधार पर आपने कह दिया, भविष्य में इस पर विचार करके नियम में कुछ न कुछ सुधार करेंगे तो कृपा होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: लॉबीज़ क्लियर हो चुकी हैं। वोटिंग की प्रक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब कल बता चुके हैं। The Secretary General will now explain the voting procedure.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes : 32

Noes : 66

AYES–32

Acharya, Shri Prasanna

Ashok Siddharth, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Bhattacharya, Shri P.

Chandrashekhar, Shri G.C.

Dalwai, Shri Husain

Fernandes, Shri Oscar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

Patel, Shri Ahmed

Raja, Shri D.

Rajaram, Shri

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Sahu, Shri Dheeraj Prasad

Shekhar, Shri Neeraj

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Shri Veer

Sinh, Dr. Sanjay

Siva, Shri Tiruchi

Tamta, Shri Pradeep

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K.T.S.

Verma, Shri Ravi Prakash

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yajnik, Dr. Amee

Noes—66

Agrawal, Dr. Anil

Alphons, Shri K. J.

Bajpai, Dr. Ashok

Baluni, Shri Anil

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Desai, Shri Anil

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Kardam, Shrimati Kanta

Kore, Dr. Prabhakar

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Saini, Shri Madanlal

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Suresh Gopi, Shri

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Verma, Shri Ram Kumar

Yadav, Shri Harnath Singh

The Resolution was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The lobbies may be cleared. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विय सिंहः * ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखरः यह * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप कृपया चेयर की तरफ देखें ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ यह नारे लगाने की जगह नहीं है, यह बात और संवाद की जगह है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः उपसभापति महोदय, अच्छा होता, अगर तीन तलाक पर उन बेटियों के पक्ष में ये लोग खड़े होते, जो आज उसका विरोध कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... आज भी तीन तलाक हो रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... उस पर खामोश हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, तीन तलाक का विरोध कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग विरोध कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Resolution at Sl. No. 2 by Shri Tiruchi Siva — 'conducting a relevant study regarding the condition of the widows in the country and use the study report to take necessary steps for their welfare.' ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसादः मैं हाउस में कह रहा हूं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not allowed, please. ...*(Interruptions)*... Message from Lok Sabha. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; not allowed, please. ...*(Interruptions)*... Message from Lok Sabha. ...*(Interruptions)*...

MESSAGES FROM LOK SABHA—*Contd.*

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th August, 2018."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

---

*Expunged as ordered by the Chair.